पत्रा. दिनांक 22/8/25 को पेश है।

22/8/25

पत्रा. पेश हुई बा० उपा० दावा वादी स्वीमत होकर डिक्री किया जाता है। अतः प्रा.पत्र 212 RTA का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। प्रा.पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रा. फीस शुमार हो, नियमानुसार से कम होकर वापिस हस्तगत हो।

सहायक कलेक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:25:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner